न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह आर.टी.एस.

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मणकसास

बनाम

श्री पप्पू राम पुत्र रिछपाल जाति गुर्जर निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी

अंतर्गत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 20/ 2022 दिनांक 28.04.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मणकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 मे मौजा ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 1.74 है0 किस्म बारानी व गै0 मु0 पहाड मे से 0.30 है0 सरकारी भूमि पर श्री पप्पू राम पुत्र रिछपाल जाति गुर्जर निवासी मणकसास ने अनाधिकृत रूप से बाड लगा कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी पर कदीमी रूप से काबिज है तथा प्रार्थी के पास रहने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नहीं है। इसके अलावा अप्रार्थी ने कोई ठोस साक्ष्य सबूत आदि पेश नही किये है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी का कदीमी कब्जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का उसके हक मे नियमन करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 1.74 है0 किस्म बारानी व गै0 मु0 पहाड में से 0.30 है0 सरकारी भूमि पर से श्री पप्पू राम पुत्र रिछपाल जाति गुर्जर निवासी मणकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 100/–रुपये (अक्षरे रू सौ मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)

तहसीलदार उदयपुरवाटी

तहसीलदार उदयपुरवाटी

झुन्झुनूं

2022-23

100